भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1768
31.07.2023 को उत्तर के लिए
राष्ट्रीय पार्कों/बाघ रिजर्वों में रिसॉर्ट/होटल खोलना

1768 श्री भर्तृहरि महताब:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पार्कों और बाघ रिजर्वों के कोर और बफर क्षेत्र में रिसॉर्ट/होटल खोलने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;
(ख) चिह्नित किए गए वन क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए होटलों, होम स्टे, रिसॉर्ट्स, ठहरने के स्थानों की संख्या से संबंधित राज्य-वार आंकड़े क्या है; और
(ग) क्या इसके निर्माण को सरकार द्वारा मंजूरी दी गयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के अंदर वाणिज्यिक पर्यटक लॉज, होटल, चिड़ियाघर और सफारी उद्यानों का निर्माण नहीं किया जाएगा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन और वन्यजीव क्षेत्रों में संधारणीय पारि-पर्यटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और आर्थिक संधारणीय रीति से स्थानीय समुदायों के लिए आय और अवसर पैदा करते हुए प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण की बेहतर समझ को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ अभयारण्य के बफर और सीमांत क्षेत्रों में बाघ सफारी की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सभी आगामी कार्रवाईयों और परिणामों के विवरण के संरक्षक हैं।

*****